न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 64/2022 G.C.M.S. No. 2022/188 दर्ज दिनांक : 23.06.2022

अपीलार्थिगण:

1. कैलाश पुत्र वरदाराम, उम्र बालिग
2. भगाराम पुत्र वरदाराम, उम्र बालिग, तमाम जातिगण धांची, निवासीगण रूपावास, तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. बंशीलाल पुत्र घीसाराम
2. सोनाराम पुत्र घीसाराम
3. बाबुलाल पुत्र घीसाराम
4. जगदीश पुत्र घीसाराम
5. पारस पुत्र घीसाराम
6. राजीव पुत्र घीसाराम, तमाम जातिगण जटिया, निवासीगण रूपावास, तहसील व जिला पाली।
7. भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मनीष राजपुरोहित, श्री भैराराम परिहार, श्री महेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 20.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से लगायत 06 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी खेत में आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबुत–सुनवाई का अवसर नहीं देकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व आराजी का रास्ता तभी दिया जा सकता है, जब विकल्प मे कोई रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध नही हो, मात्र सुविधा की दृष्टि के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट के खसरा संख्या 150 मे पुर्व से रास्ता उपलब्ध है, जिस रास्ते का उपयोग रेस्पोडेण्ट कई वर्षों से करते आ रहे है, मात्र सुविधा के लिये रेस्पोडेण्ट को अलग से रास्ता उपलब्ध नही करवाया जा सकता है, रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को परेशान करने मात्र से अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण पेश किया है। अपीलाधीन आदेश मे जो रास्ता दिया गया है वह अपीलाण्ट की भुमि में से 0.08 बिस्वा भूमि का रास्ता दिया गया है। रेस्पोंडेण्ट के पास पुर्व से वादग्रस्त आराजी में ट्रैक्टर ट्रोली मोटरसाईकिल इत्यादि अन्य साधनों से जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा रवैया रेस्पोंडेण्ट के पक्ष मे अपनाते हुए अपीलाण्ट को कभी भी समन प्रेषित नही किया है, तथा न ही अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी थी, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश यह तथ्य अंकित किया कि अपीलाधिन प्रकरण की जानकारी अपीलाण्ट को पटवारी द्वारा दी गयी। सिविल प्रकिया संहिता 1908 में प्रतिवादी/अप्रार्थी को सम्मन जारी करने की विहित रीति बतायी गयी है, जिसके तहत प्रतिवादी/अप्रार्थी की तामिल तामिल वाहक/कुनिन्दा या विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों द्वारा तामिल करवाये जाने का प्रावधान है, पटवारी न तो अधिनस्थ न्यायालय का तामिल कुनिन्दा है, तथा न ही स्पेशल वाहक है, जिसके माध्यम से अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी दी गई हो, अपीलाण्ट को जैर अपीलधीन प्रकरण की जानकारी कभी नहीं थीं, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा रवैया अपनाते हुए जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। दिनांक 14.06.2022 को आरआई साहब श्री रामस्वरूप मीणा, मोबाईल नम्बर 7300413008 से मेरे मोबाईल नम्बर 9799555344 पर फोन आया, तथा आरआई साहब ने यह कहा की आपकी जमीन मे रास्ता का आदेश हुआ है, मै रूपये लेकर आया हूँ, आप कहा पर हो, तब मैं अपने परिचित अधिवक्ता श्री भैराराम जी के पास गया, तथा प्रकरण की जानकारी करने हेतु कहा, तत्पश्चात उसी रोज वकील साहब भैराराम जी ने पटवारी साहब व तहसील कार्यालय में जाकर पता किया, तब जैर अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी हुई। तत्पश्चात् दिनाक 15.06.2022 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया, व दिनाक 16.06.2022 को नकल प्राप्त हुई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी आराजी में से रास्ता प्रदान करने बाबत अनुरोध किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील लगभग 8 माह के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि दिनांक 14.06.2022 को आरआई साहब श्री रामस्वरूप मीणा, मोबाईल नम्बर 7300413008 से मेरे मोबाईल नम्बर 9799555344 पर फोन आया, तथा आरआई साहब ने यह कहा की आपकी जमीन में रास्ता का आदेश हुआ है, मैं रूपये लेकर आया हूँ, आप कहां पर हो, तब मैं अपने परिचित अधिवक्ता श्री भैराराम जी के पास गया, तथा प्रकरण की जानकारी करने हेतु कहा, तत्पश्चात उसी रोज वकील साहब भैराराम जी ने पटवारी साहब व तहसील कार्यालय में जाकर पता किया, तब जैर अपीलाधीन प्रकरण की जानकारी हुई। अतः विलंबकाल माफ कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.10.2021 को कैम्प कोर्ट रूपावास में कैम्प प्रभारी उपखंड अधिकारी पाली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम रूपावास में स्थित अपनी खातेदारी खसरा संख्या 150 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 152 में से रास्ता दिलाने की मांग की गई तथा यह निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का कदीम से उपयोग–उपभोग कर रहे हैं एवं प्रार्थीगण को रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। जिस पर उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2021 को ही कैम्प में ही प्रकरण धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन संबंधित भू.अ.नि. से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान को सूचित किए बिना व जवाब प्राप्त किए बिना दिनांक 26.10.2021 को ही अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खसरा संख्या 152 में से 0.08

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बिस्वा भाग पर रास्ता स्वीकृत कर प्रतिकर राशि नियत की गई। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो प्रार्थीगण द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र में यह अंकन किया गया है कि उनके द्वारा कदीम से रास्ते का उपयोग किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण धारा 251–क के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होकर धारा 251 के अंतर्गत दर्ज किया जाकर विधिनुरूप निस्तारित किया जाना चाहिए था। जिसका अभाव पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित खातेदारान को सम्मन जारी नहीं कर तथा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देकर खातेदारान की अनुपस्थिति में एक ही दिन में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों से विचलन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं एवं अपीलाधीन आदेश समर्थन योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली